

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर एटा

सामान्य निवास प्रमाण पत्र

क्रमांक : 17410211821

(केवल सेवायोजन/शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ)

दिनांक:

04-Feb-2010

1 एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु० नन्दिनी उपाध्याय
पुत्र/पुत्री/पत्नी अरूण कुमार उपाध्याय
निवासी/ग्राम 157, अरूणा नगर एटा पर० एटा सकीट
थाना एटा शहर तहसील एटा जिला एटा
राज्य उत्तर प्रदेश का/की निवासी है।



2 उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदन एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उ०प्र० के इस जनपद का सामान्य निवासी होने विषयक (Ordinaily Resident) प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

उपजिलाधिकारी
सदर एटा

नाटः : उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही जारी किया गया है इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई सम्बन्ध नहीं है।
उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट 1994 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार का विषय है यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नार्चन हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रस्तुत होगा। जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

सत्यापन के लिए वेबसाइट लॉगिन करें : <http://www.bor.up.nic.in>

फार्म सं

5568